eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

वैश्विक भारत में स्वास्थ्य का अधिकार– एक विश्लेषण

[1]अमरेश रावत,
[2]डॉ0 राम प्रकाश,
[1]शोधकर्ता, विधि संकाय, बी0जी0आर0 परिसर पौड़ी, एच0एन0बी0 गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखण्ड।
[2]सीनियर असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि संकाय, बी0जी0आर0 परिसर पौड़ी, एच0एन0बी0 गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखण्ड।

Received: 10 Jan 2022, Accepted: 20 Jan 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2022

Abstract

प्रसिद्ध कहावत है कि 'स्वास्थ्य ही उत्तम धन है' एवं मनुष्य की सर्वोपरि आवश्यकता है। वर्तमान समय में समूचा विश्व स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का सामना कर रहा है एवं स्थिति लगातार खराब होने की ओर अग्रसर है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में निहित है। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। स्वास्थ्य के अधिकार के अभाव में इन अधिकारों का उपयोग करना असम्भव है। स्वास्थ्य का अधिकार **अनुच्छेद 21** के अधीन जीवन के अधिकार एवं संविधान के नीति निदेशक तत्वों के मूल में वर्णित है। जिसमें राज्य अपनी निति के द्वारा भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

मुख्य शब्द– स्वास्थ्य, सुरक्षा, संविधान, अधिकार।

प्रस्तावना

"The health of Nations is more important than the Wealth of Nations" **– विल डुरन्ट**

"सर्वे सन्तु निरामया" **–उपनिषद**

स्वास्थ्य का अधिकार सभी क्षेत्र में मानव विकास की धूरी है। व्यक्ति के सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का विकास उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य एवं उसकी देखभाल करने का मूल अधिकार है। विकलांगता, बेरोजगारी, बुढ़ापा,

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

विधवापन या अन्य परिस्थितियों में आजीविका में कमी के कारण व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा का दायित्व राज्य का कर्तव्य है। यद्यपि भारतीय संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को अलग से वर्णित नहीं किया गया है, किन्तु **अनुच्छेद 21** के मूल में निहित है एवं साथ ही साथ नीति निदेशक तत्व एवं अन्य प्रभावकारी कानूनों में वर्णित है। स्वास्थ्य के अधिकार शब्द को भारतीय संविधान में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया हैं परन्तु न्यायिक निर्वचन के माध्यम से इसकी विस्तृत व्याख्या की गयी है। स्वास्थ्य का अधिकार केवल शरीर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं वरन् इसके अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा निहित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं **अनुच्छेद 21** के प्रावधान मानव कल्याण के लिए पूर्णरूप से समर्पित हैं जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक , राजनीतिक व नैतिक स्वतन्त्रता के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना हैं। यह तभी सम्भव है जब नागरिक मानसिक, शारीरिक व नैतिक रूप से स्वस्थ होगा।

मूल अधिकार के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार– यह विदित है कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार में स्पष्ट दर्शित नहीं किया गया है परन्तु उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से निर्धारित किया है कि स्वास्थ्य का अधिकार **अनुच्छेद 21** के अन्तर्गत जीवन के अधिकार का मूल भाग है। **अनुच्छेद 21** जीवन के अधिकार के अन्तर्गत रोटी, कपड़ा व मकान की आवश्यकता तक सीमित नहीं है बल्कि व्यक्ति के साम्मानपूर्ण जीवन स्तर को बनाये रखने की बात करता है। उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को निर्णयों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट करता रहा है।

म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम जन मोहम्मद के मामले में न्यायालय ने धारित किया कि **अनुच्छेद 19** के **खण्ड (6)** में आप जनता के स्वास्थ्य हित में, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक नैतिकता, आर्थिक कल्याण को विस्तार से संविधान के **भाग 4** के अन्तर्गत न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विस्तृत निर्वचन किया है।

भूराबाजार फायर वर्क डीलर संघ एवं अन्य बनाम पुलिस कमिश्नर कलकत्ता नामक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **अनुच्छेद 19 (1)(छ)** स्वतन्त्रता के अधिकार के नाम पर कोई ऐसी गारान्टी प्रदान नहीं करता है जो जन समुदाय की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शान्ति का हनन करता हो।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

सी0ई0आर0सी0 बनाम भारत संघ,में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चिकित्सीय सुविधा सरकारी सेवा में रहते हुए एवं सेवा निवृत्ति के बाद भी प्राप्त करने का कर्मचारी का मूल अधिकार है।

परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ,में सर्वोच्च न्यायालय ने कथन किया कि मैडीको–लीगल दुर्घटना के मामले में सामान्यत चिकित्सा अधिकारियों के लापरवाही एवं मनाही सामने आती है, कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने तक पीड़ित को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, जबकि यह व्यक्ति का अधिकार है कि उसे उचित एवं शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो एवं बिना औपचारिकताओं के चिकित्सा प्रारम्भ कर दी जाए, क्योंकि ध्यातव्य है कि जीवन एक बार खो गया तो दोबारा मिल नहीं सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा कर्मियों को बिना किसी भेदभाव से पीड़ित के जीवनकी रक्षा करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, न्यायालय ने निर्धारित किया कि सरकार का कर्तव्य है कि जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा प्रदान करे एवं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए प्राथमिक स्तर से कार्य प्रारम्भ करे। जिसके लिए राज्य को स्वास्थ्य एवं अन्य प्रणाली को विकसित करना होगा ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त के तहत स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सुरक्षित करने का अधिकार

स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने से सम्बन्धी प्रावधान संविधान के भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों में भी निहित है। परन्तु इनमें निहित प्रावधान न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराये जा सकते हैं फिर भी न्यायपालिका ने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के अधिकार को अपने निर्णयों के द्वारा सरकार को बाध्य किया है कि सरकार अपनी नीति में स्वास्थ्य के मामलों के लिए कार्य करे। **अनुच्छेद 38** कहता है कि, राज्य सामाजिक व्यवस्था एवं लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण करेगा। **अनुच्छेद 39(ङ)** राज्य अपनी नीति में यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों, पुरूषों एवं महिलाओं और 14 वर्ष से कम बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरूपयोग न हों।

शीला बार्से बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रत्येक बच्चा राष्ट्र की सम्पत्ति है। उनका व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। बच्चों के सम्बन्ध में

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

राज्य की आन्वयिक भूमिका को पूरा करने के लिए **42वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के खण्ड (च)** द्वारा उक्त को संशोधित किया गया।

बधुवा मुक्ति मौर्चा बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति भगवती ने कथन किया कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार **अनुच्छेद 21** के मूल में है, एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के **अनुच्छेद 39(ङ),(च) और अनुच्छेद 41 व 42** में निहित है। नीति निदेशक सिद्धान्त न्यायालय के द्वारा प्रभावकारी नहीं बनाया जा सकता किन्तु सरकार इनका उपयोग अपनी नीति निर्माण कार्य में करके जन सामान्य के स्वास्थ्य कल्याण की पूर्ति करने के लिए बाध्य है। स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढ़ॉचा सुधार करके ही मानव को गरिमापूर्ण जीवन का उपहार दिया जा सकता हैं।

अनुच्छेद 42 के अन्तर्गत राज्य का दायित्व है कि कार्य करने की मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान करें, ताकि श्रमिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। **भाग 4** के अनुच्छेद भी नागरिकों के अनुकूल वातावरण निर्माण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि श्रम कानून एवं श्रमिकों के कल्याण पर कार्य करे, **अनुच्छेद 47 रा**ज्य पर यह दायित्व डालता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में मूलभूत सुधार करें। संविधान निर्माताओं की परिकल्पना थी कि नागरिको के स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी सुविधा पर राज्य कार्य करे। राज्य का दायित्व है कि वह प्रत्येक नागरिको को उच्च चिकित्सीय सुविधाओं के साथ उनके स्वास्थ्य सुरक्ष के उपाय करें।

स्थानीय शासन के दायित्व– भारतीय संविधान की प्रकृति अर्द्धसंघीय है। इस प्रणाली में समवर्ती सूची के अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों को रखा गया है। जिस पर राज्य सरकार भी अपना दायित्व पूर्ण करने के लिए विधियों का निर्माण करती है। **अनुच्छेद 243W** राज्य की विधायिका नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कानून बनाने के लिए आवश्यक हो। **अनुसूची 12 के मद 6** में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण एवं ठोस प्रबन्धन इन आधारों पर स्थानीय स्वशासन स्वास्थ्य के अधिकार के तहत स्वास्थ्य नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में सक्षम हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी ढ़ॉचा के विकास को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए ग्राम व नगरपालिका स्तर पर गठजोड़ हो। **अनुच्छेद 243जी** के अन्तर्गत **11वीं अनुसूची** के **मद 23** के अन्तर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व औषधालय आदि शामिल किए गए हैं। जिससे इनका विस्तार का लाभ प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो सके।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

राज्य का दायित्व– भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही राज्य अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं पर निरन्तर कार्य कर रहा है, बावजूद इसके अभी तक स्वास्थ्य की मूल सुविधाओं की पहुंच आम नागरिक तक नहीं पहुंची है। यद्यपि संविधान के भाग 4 में निहित **अनुच्छेद 39(ङ)** व **(च)अनुच्छेद 42 व 47** को लागू करना राज्य का दायित्व है। राज्य को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर और जीवन स्तर को उचे उठाने के लिए अग्रसारित रहना चाहिए।

कन्जूमर एजूकेशन एण्ड रिसोरसेस बनाम भारत संघ, में यह कहा गया कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है जो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए **अनुच्छेद 21** के मूल अधिकार को **अनुच्छेद 39(ग),41 व 43** के साथ निर्वचन करना चाहिए। संविधान सभी कर्मकारों को गरिमापूर्ण जीवन के साथ उनके स्वास्थ्य एव स्वास्थ्य सुरक्षा की सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य अपनी वित्तीय परिस्थिति को सामने रखकर अपने संवैधानिक दायित्व से दूर नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का अधिकार जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा करना राज्य का परम दायित्व है। इसलिए राज्य को उचित एवं प्रभावी तन्त्र बनाकर विकसित स्वास्थ्य ढॉचा निर्माण करके नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए।

वर्तमान में न्यायपालिका की भूमिका– मानव जीवन सदैव से ही बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए संघर्षरत रहा है। यात्रा शुरू होती है जंगल से, जहां सिर्फ एक नियम था–***"Survival of the Fittest".*** इस सिद्धान्त के साथ–साथ वर्तमान में ***"Survival of the weakest"*** अब आवश्यक हो गया हैं। राज्य का कर्तव्य है कि सभी को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करे। राज्य की अवधारणा कल्याणकारी नीति परक कार्यों से चलती है। भारत में कई कानून जो स्वास्थ्य के अधिकार से सम्बन्धित हैं, भारतीय संविधान में भी स्वास्थ्य के अधिकार को स्पष्ट रूप से समाहित नहीं किया गया है किन्तु **अनुच्छेद 21** जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के मूल में अभिनिहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक वादों में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है और स्पष्ट किया है कि बिना स्वास्थ्य के किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध जीवन के अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है, इसके उल्लंघन होने पर उच्च एवं उच्चतम न्यायालय सदैव उपचार देने के लिए तत्पर हैं।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, में कहा गया कि **अनुच्छेद 21** के अन्तर्गत भोजन का मूलभूत अधिकार कपड़ा एवं आश्रय के साथ स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है।

दुनियाभर में मानव अधिकार चार्टर व अभिसमयों में स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है। न्यायपालिका ने स्वास्थ्य के अधिकार का निर्वचन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा करना सिर्फ चिकित्सकों एवं चिकित्सीय विषय में लगे हुए लोगों का ही नहीं वरन् जनता का भी दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य अधिकार को संरक्षित करे। **अनुच्छेद 21** के अन्तर्गत जीवन शब्द का तात्पर्य सामान्य जीवन की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन का अर्थ जीवन में असमर्थता, बीमारी एवं अयोग्यता को दूर करके सम्मानपूर्ण जीवन के स्तर से है।

निष्कर्ष– उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। न्यायपालिका ने कई बार अपने निर्णयों में स्वास्थ्य अधिकार को अनुच्छेद 21 में निहित माना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी राज्य को स्वास्थ्य विषयों पर विधि बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। भारत प्रजातान्त्रिक देश है, इसलिए केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। केन्द्र व राज्य दोनों का दायित्व प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा का दायित्व है। प्रत्येक नागरिक को अच्छा भोजन, निवास एवं स्वास्थ्य सुरक्षा बिना किसी भेद भाव के पाने का अधिकार है। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 एवं निति निदेशक तत्व का आपसी तालमेल की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य के अधिकार को विस्तृत आयाम दिया है। स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा न मिलने पर न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाना न्यायालय अपना दायित्व समझता है, जब तक राज्य स्वास्थ्य के अधिकारों के उल्लंघन रोकने में सफल नहीं हो जाता है। उचित है कि राज्य संविधान संशोधन करके स्वास्थ्य के अधिकार को पूर्ण मूल भूत अधिकार दर्जा प्रदान करे, 15वें वित्त एवं नीति आयोग ने भी इसको पूर्ण मूल अधिकार बनाने की सिफारिश की है, ताकि देश का नागरिक स्वास्थ्य के अधिकार की दृष्टि से सशक्त हो सके। न्यायपालिका अपने निर्णयों के माध्यम से विकसित स्वास्थ्य ढ़ॉचे विनिमार्ण करने की राज्यों को निर्देशित करते रहे हैं, इसके बावजूद भी राज्य का रवैया इस पर उदासीन रहा है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

विधायिका को चाहिए कि इस पर पूर्ण मनोयोग से कार्य करे, ताकि देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुरक्षित कर सके। केन्द्र व राज्यों के बीच तालमेल से यह सम्भव हो सकता है। सभी नागरिको के स्वास्थ्य को सुरक्षित कर राज्य देश की प्रगतिशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संविधान की मूल अवधारणा सहकारी परिसंघवाद का दर्शन को प्राप्त करने के लिए राज्य को स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमार्ण के क्षेत्र कठोर कदम एवं निर्णय लेने चाहिए ताकि प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके, तभी सर्वे सन्तु निरामया एवं श्रेष्ठ भारत का स्वप्न पूरा होगा।

References:

1-Article 25, Universal declaration Of Human Right
2-Right to health and Constitutional Safeguards & Role of judiciary-by Dr Soumitra Kumar Chatterjee.
3-Bakshi, PM, The constitution of India, Universal Law Publication
5-State of Punjab v. Mahinder Singh Chawla AIR 1997 SC 1225
6- AIR 1986 SC 1205: (1986) 3 SCC 20
4 - Art. 21 of Indian constitution
7 -AIR 1998 Cal. 121
8–AIR 1995 SC 922
9-AIR 2003 SC 664
10-AIR 1989 SC 2039
11- 1996 (4) SCC 37
12- AIR 1998 SC 1703
13-Right to health from constitutional Perspective - Author Hina Iliyas, Faculty of law Jamia Milia Islamia.
14- AIR 1986 SC 1786: (1986) 3 SCC 596
15-AIR 1988 SC 1863
16- AIR 1987 SC 990: (1987) 2 SCC 165
17-JT 2002 (3) SC 527
20- Article 48 A
21- AIR 1955 SC 636
23-AIR 786, 1981 SCR (2) 516